

3429/216
25-11-16

कार्यालय छत्तीसगढ़ माध्यस्थम् अधिकरण

तृतीय तल, शहीद वीर नारायण सिंह व्यवसायिक परिसर, नगर घड़ी चौक, रायपुर (छ.ग.)

क. 303 / छ.ग.मा.अ./भर्ती/2016

रायपुर, दिनांक 24-11-2016

प्रति,

श्रीमान प्रमुख सचिव,
विधि एवं विधायी कार्य विभाग,
छ.ग. शासन, महानदी भवन,
नया मंत्रालय, रायपुर

विषय: सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन को वेबसाईट में अपलोड करवाने बाबत ।

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि इस अधिकरण में निज सहायक, शीघ्रलेखक, सहायक ग्रेड-3, वाहन चालक, भृत्य/चौकीदार, फर्शा/स्वीपर के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया आरंभ की गई है । इस संबंध में नियमावली, निर्देश तथा आवेदन पत्र का प्रारूप इस ज्ञापन के साथ संलग्न किये जा रहे हैं ।

कृपया छ.ग. शासन के वेबसाईट एवं विधि विभाग के वेबसाईट में अपलोड करवाने का कष्ट करें ।


संलग्न-सीधी भर्ती का ज्ञापन ।

26.11.16
26/11/16

अवल
Jnsi
28-11-2016

रजिस्ट्रार
छ.ग. माध्यस्थम् अधिकरण
रायपुर

Fax-1002
25/11/16



अवल
28-11-16

कार्यालय छत्तीसगढ़ माध्यस्थम् अधिकरण

तृतीय तल, शहीद वीर नारायण सिंह व्यवसायिक परिसर, नगर घड़ी चौक, रायपुर (छ.ग.)

क. 302 / छ.ग.मा.अ. / भर्ती / 2016

रायपुर, दिनांक 24-11-2016

सीधी भर्ती

छ.ग. माध्यस्थम् अधिकरण में निज सहायक, शीघ्रलेखक, सहायक ग्रेड-3, वाहन चालक, भृत्य/चौकीदार, फर्राश/स्वीपर के रिक्त निम्नलिखित पदों पर अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों से निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 15.12.2016की संध्या 5.00 तक है।

क.	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या	अनारक्षित पद				आरक्षित पद											
			मुक्त	महिला	दिव्यांग	भू.पू.से.	अन्य पिछड़ा वर्ग				अनुसूचित जाति				अनुसूचित जनजाति			
			मुक्त	महिला	दिव्यांग	भू.पू.से.	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भू.पू.से.	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भू.पू.से.	मुक्त	महिला	दिव्यांग	भू.पू.से.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.
1.	निज सहायक	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
2.	शीघ्रलेखक	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
3.	सहायक ग्रेड-3	3	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

चतुर्थ श्रेणी

4.	वाहन चालक	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
5.	भृत्य/चौकीदार (कलेक्टर दर)	3	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	फर्राश/स्वीपर (आक. स्थापना)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

/

..2..

भर्ती की पात्रता एवं शर्तें :-

1. निज सहायक:-

अ. वेतनमान - वेतन बैंड 9300-34800+ ग्रे.पे. 4300

ब. शैक्षणिक योग्यता -

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत तथा अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण ।
2. छत्तीसगढ़ या मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा अंग्रेजी शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र रखता हो ।
3. किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (DCA) के साथ एम.एस. वर्ड तथा इंटरनेट/कम्प्यूटर का न्यूनतम ज्ञान ।

2. शीघ्रलेखक (स्टेनोग्राफर-अंग्रेजी):-


अ. वेतनमान - वेतन बैंड 5200-20200 + ग्रे.पे. 2800

ब. शैक्षणिक योग्यता -

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत तथा अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण ।
2. छत्तीसगढ़ या मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा अंग्रेजी शीघ्रलेखन एवं मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र रखता हो ।
3. किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (DCA) के साथ एम.एस. वर्ड तथा इंटरनेट/कम्प्यूटर का न्यूनतम ज्ञान ।

3. सहायक ग्रेड-3 :-

अ. वेतनमान - वेतन बैंड 5200-20200 + ग्रे.पे. 1900



...3..

ब. शैक्षणिक योग्यता -

1. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 40 प्रतिशत तथा अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण ।
2. छत्तीसगढ़ या मध्यप्रदेश शीघ्रलेखन तथा मुद्रलेखन बोर्ड या शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी अन्य समकक्ष बोर्ड द्वारा हिन्दी मुद्रलेखन परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र रखता हो।
3. किसी विश्वविद्यालय या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन (DCA) के साथ एम.एस. वर्ड तथा इंटरनेट/कम्प्यूटर का न्यूनतम ज्ञान ।

4. वाहन चालक :-

अ. वेतनमान - वेतन बैंड 5200-20200 + ग्रे.पे. 1900

ब. शैक्षणिक योग्यता -

1. कक्षा आठवीं उत्तीर्ण ।
2. वैध एवं प्रभावी लोक वाहन चालक अनुज्ञापति धारित करना अनिवार्य है ।

5. भृत्य/चौकीदार :-

अ. वेतनमान - कलेक्टर दर

ब. शैक्षणिक योग्यता -

1. कक्षा पांचवी उत्तीर्ण ।
2. ड्रायवर, कूक, माली, इलेक्ट्रिशियन, बढ़ई, प्लंबर के कार्य के अनुभव प्राप्त उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जायेगी तथा अनुभव के संबंध में यदि प्रमाण पत्र हो तो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें ।

6. फर्शा/स्वीपर -

अ. वेतनमान - कलेक्टर दर (आकस्मिकता)

ब. शैक्षणिक योग्यता -

1. कक्षा पांचवी उत्तीर्ण ।
2. साफ सफाई कार्य के अनुभव प्राप्त उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जायेगी तथा अनुभव के संबंध में यदि प्रमाण पत्र हो तो आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें ।



..4..


आयु सीमा एवं पात्रता की अन्य शर्तें

1. रोजगार कार्यालय में उनका पंजीयन जीवित हो (कार्यरत शासकीय सेवकों को छूट होगी)
2. अ. कोई भी उम्मीदवार, जिसने विवाह के लिए निर्धारित आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।
ब. कोई पुरुष उम्मीदवार, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हो, और कोई भी महिला उम्मीदवार जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो, जिसकी पहले एक पत्नी जीवित हो, नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।
स. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 के या उसके पश्चात् हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा ।
3. दिनांक 01.01.2016 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली गई हो परन्तु 35 वर्ष की आयु पूरी न किया हो । छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर के ज्ञापन क्रमांक - एफ-3-2/2015/3/एक, नया रायपुर दिनांक 17.12.2015 के अनुसार छ.ग. राज्य के स्थानीय निवासियों को सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती में एक बार के लिए निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष में 5 वर्ष की छूट कलेण्डर वर्ष 2016 की समाप्ति तक प्रदान की गई है ।

4. उच्चतम आयु सीमा में छूट :-

निम्नलिखित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम सीमा में निम्नानुसार छूट रहेगी :-

- 4(1) यदि अभ्यर्थी छ.ग. शासन द्वारा घोषित अनुसूचति जाति या जनजाति का है, तो आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष तक छूट दी जायेगी ।
- 4(2) यदि अभ्यर्थी छ.ग. शासन द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग का है तो सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-7-25-93/1/आ.प्र. दिनांक 20.01.1994 के अंतर्गत आयु सीमा में अधिकतम 5 वर्ष की छूट दी जायेगी । अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदक को कीमिलेयर के अंतर्गत नहीं होना चाहिए ।



..5..

- 4(3) छ.ग. शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्कचार्ज या कंटीजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छ.ग. राज्य के निगमों/मण्डलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष तक रहेगी ।
- 4(4) महिलाओं की आयु सीमा में शासन के नियमानुसार 10 वर्ष शिथिल होगा जो उनके वर्ग में मिलने वाली आयु सीमा में छूट के अतिरिक्त होगी ।
- 4(5) छ.ग. शासन द्वारा आवेदन करने में उम्र के संबंध में छूट दिये जाने संबंधी जो भी परिपत्र जो प्रभावशील हो और उम्मीदवारों पर लागू होते हों, उनके अंतर्गत भी छूट पर विचार किया जायेगा ।

आवेदन प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

1. आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में प्रस्तुत किये जा सकेंगे । पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 15.12.2016 की संध्या 5.00 बजे तक बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से पद का नाम उल्लेखित हो, रजिस्ट्रार, छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण, तृतीय तल, शहीद वीर नारायण सिंह व्यवसायिक परिसर, नगर घड़ी चौक, रायपुर, छ.ग. के कार्यालय के नाम से रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से भेजे जा सकते हैं । अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा ।
2. दिनांक 15.12.2016 की संध्या 5.00 बजे के उपरांत प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा ।
3. आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जाति, निवास आदि से संबंधित प्रमाण पत्र स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित प्रतियां संलग्न करना आवश्यक होगा ।
4. जन्मतिथि की सत्यता हेतु जन्म प्रमाण पत्र अथवा हाईस्कूल/हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अंकसूची की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करें ।
5. ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय अथवा अर्धशासकीय संस्था में सेवारत हैं, उन्हें विभाग प्रमुख द्वारा प्रदत्त परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा ।
6. आवेदन पत्र के साथ स्वयं का पूर्ण नाम एवं पता लिखे हुए दो लिफाफे पर 10/- रुपये की डाक टिकट चस्पा करते हुए आवश्यक रूप से संलग्न करें । यदि आवेदक द्वारा टिकट चस्पा किये बिना लिफाफा संलग्न किया जाता है तो परीक्षा के संबंध में सूचना प्राप्त नहीं होने की जिम्मेदारी कार्यालय को नहीं होगी ।

..6..

7. यदि एक से अधिक पदों के लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहता है तो उसे प्रत्येक पद हेतु पृथक पृथक निर्धारित प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
8. विज्ञापन प्रकाशन तिथि के पूर्व प्राप्त आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जायेगा।
9. अर्हताधारी अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए उपस्थित होने हेतु सूचना दी जायेगी। जिन अर्हताधारी आवेदकों को सूचना प्राप्त न हो तो वे छ.ग. शासन के वेबसाइट **cg.gov.nic.in** से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर आई.डी. प्रुफ जैसे आधार कार्ड/पेनकार्ड/वोटरआईडी/झायविंग लाईसेंस/स्मार्ट कार्ड सहित उपस्थित होंगे। यदि उनकी उम्मीदवारी सही पाई गई तो कौशल परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी जा सकेगी।
10. यदि आवेदन पत्र में कोई जानकारी अपूर्ण अथवा त्रुटिपूर्ण दी जाती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आवेदक की होगी तथा अपूर्णता के आधार पर आवेदक को बिना पूर्व सूचना दिये आवेदन पत्र चयन के किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकेगा।

चयन प्रक्रिया

1. निज सहायक -

1. कौशल परीक्षा के अंतर्गत उम्मीदवार को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट का अंग्रेजी में डिक्टेशन दिया जायेगा जिसे अभ्यर्थी को डिक्टेशन उपरांत 40 मिनट की समयावधि में शुद्धता से कम्प्युटर में टाईप कर उसका प्रिंट निकालकर जमा करना होगा। कौशल परीक्षा हेतु निर्धारित अंक 100 होगा।
2. कौशल परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवार को साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना होगा। साक्षात्कार हेतु निर्धारित अंक 10 होगा।

2. शीघ्रलेखक -

1. अंग्रेजी स्टेनोग्राफर के पद हेतु उम्मीदवार को 100 शब्द प्रति मिनट की गति से 5 मिनट का अंग्रेजी में डिक्टेशन दिया जायेगा जिसे अभ्यर्थी को डिक्टेशन उपरांत 40 मिनट की समयावधि में शुद्धता से कम्प्युटर में टाईप कर उसका प्रिंट निकालकर जमा करना होगा। कौशल परीक्षा हेतु निर्धारित अंक 100 होगा।
2. कौशल परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवार को साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना होगा। साक्षात्कार हेतु अंक 10 होगा।

..7..

3. सहायक ग्रेड-3

1. इस पद हेतु उम्मीदवार को हिन्दी के 250 शब्द के गद्यांश को 10 मिनट की समयावधि में कम्प्यूटर में टाईप कर प्रिंट निकालना होगा। कौशल परीक्षा अंक 100 होगा।
2. कौशल परीक्षा में उत्तीर्ण उम्मीदवार को साक्षात्कार हेतु उपस्थित होना होगा। साक्षात्कार हेतु अंक 10 का होगा।

4. वाहन चालक -

1. वाहन चलाने का परीक्षण देना होगा।
2. वैध तथा प्रभावी ड्रायविंग लाईसेंस की मूल प्रति अपने साथ लाना होगा।
3. भौतिक सत्यापन तथा योग्यता चयन।

5. मृत्यु/चौकीदार -

1. शैक्षणिक योग्यता के संबंध में, अनुभव एवं विशेष योग्यता के संबंध में मूल प्रमाण पत्र अपने साथ लाना होगा।
2. भौतिक सत्यापन तथा योग्यता चयन।

6. फर्लाश /स्वीपर -

1. शैक्षणिक योग्यता के संबंध में, अनुभव एवं विशेष योग्यता के संबंध में मूल प्रमाण पत्र अपने साथ लाना होगा।
2. भौतिक सत्यापन तथा योग्यता चयन।


नोट -

1. किसी वर्ग के चयन प्रक्रिया में उम्मीदवारों की संख्या के आधार पर यदि आवश्यकता महसूस हुई तो कौशल परीक्षा के पूर्व एक स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जायेगा जिसमें प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्त पदों का 1:10 की संख्या में अभ्यर्थियों को आमंत्रित किये जायेंगे।
2. यदि स्क्रीनिंग टेस्ट लिया गया और उक्त परीक्षा में अंतिम क्रमांक पर एक समान अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों होंगे तो ऐसी स्थिति में कौशल परीक्षा के लिए चयनित उम्मीदवारों की संख्या 1:10 से अधिक हो सकता है, केवल कौशल परीक्षा के प्राप्तांक तथा साक्षात्कार के आधार पर प्रावीण्य सूची तैयार की जायेगी। एक समान अंक प्राप्त करने की स्थिति में जन्मतिथि के आधार पर वरीयता तय की जायेगी अर्थात् जिस अभ्यर्थी की जन्मतिथि पहले होगी उसे प्राथमिकता प्रदान की जायेगी और उक्त प्रावीण्य सूची के आधार पर नियुक्ति आदेश जारी किये जायेंगे। प्रावीण्य सूची के साथ प्रतीक्षा सूची भी जारी की जायेगी जो एक वर्ष के लिए वैध रहेगी।
3. चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता/अपात्रता के संबंध में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार अध्यक्ष महोदय को होगा।
4. चयनित उम्मीदवारों को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त प्रमाण पत्रों की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

..8..

5. आरक्षित वर्ग के चयनित उम्मीदवारों को जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन नियुक्ति दिनांक से 3 माह के अंदर शासन द्वारा गठित उच्च स्तरीय जाति छानबीन समिति आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान छ.ग. रायपुर से कराकर प्रस्तुतकरना होगा अन्यथा सेवा से पृथक किया जा सकेगा ।
6. कार्यालय द्वारा चयनित उम्मीदवार नियुक्ति उपरांत उसका पुलिस व्हेरिफिकेशन भी कराया जायेगा ।
7. चयनित उम्मीदवारों को इस आशय का घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके विरुद्ध कोई अपराधिक प्रकरण वर्तमान में लंबित नहीं है तथा पूर्व में उसे किसी अपराधिक प्रकरण में दोषसिद्ध नहीं किया गया है ।
8. जिला चिकित्सालय रायपुर के चिकित्सा बोर्ड से फिटनेस प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर ही सेवा में लिया जायेगा ।
9. चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति 2 वर्ष की परीक्षा अवधि पर की जायेगी ।
10. चयन उपरांत कोई जानकारी असत्य पाई जाती है तो की गई नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी ।
11. भिन्न भिन्न पदों के लिए परीक्षा को पृथक पृथक किया जा सकेगा ।

संलग्न-आवेदन पत्र का प्रारूप ।


रजिस्ट्रार
छ.ग. माध्यस्थम अधिकरण
रायपुर

..3..

20. क्या आवेदक शासकीय/अर्धशासकीय संस्था में कार्यरत है ?
(यदि हां तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें)

हां	नहीं
-----	------

21. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची :-

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

टीप- स्वयं द्वारा अभिप्रमाणित दस्तावेज मान्य किये जायेंगे ।

घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि इस प्रपत्र में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी व्यक्तिगत जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि ये झूठे पाये जाते हैं, तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किये जाने योग्य होगी ।

दिनांक
स्थान

आवेदक के हस्ताक्षर
नाम एवं पूरा पता